संख्या- 28/2017/1362/चौदह-4-2017-500(18)/2012टीसी

प्रेषक,

आशीष तिवारी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 10 अगस्त, 2017

विषय: केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "इन्टेन्सीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट" स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के सापेक्ष अवमुक्त/पुनर्वैध की गयी केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-44/36-टी-3।। दिनांक 13.07.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं भारत सरकार के पत्र सं0-एफ.एन.3-1/2017-एफ0पी0डी0 दिनांक 28.04.2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 के क्रम में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के ''इन्टेंसीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट स्कीम'' योजनान्तर्गत प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु लेखानुदान द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु तदर्थ रूप से अवमुक्त की गयी केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु राज्यॉश सहित रू0 96.16 लाख (रूपये छानबे लाख सोलह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| लेखाशीर्षक | धनराशि (रू0 हजार में) |
|---|---|
| अनुदान संख्या-60 | |
| राजस्व लेखा- | |
| 2406-वानिकी तथा वन्य जीव- आयोजनागत- | |
| 01-वानिकी- | |
| 800-अन्य व्यय- | |
| 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- | |
| 0112-इन्टेन्सीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट-(के.60/रा.40-के.+रा.) | |
| 02-मजदूरी | 3070 |
| 29-अनुरक्षण | 1080 |
| 42-अन्य व्यय | 458 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | |
|---|---|
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 150 |
| योग- | 4758 |
| पूँजीलेखा- | |
| 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय- | |
| 01-वानिकी | |
| 800-अन्य व्यय- | |
| 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- | |
| 0111-इन्टेन्सीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट(के.60/रा.40-के.+रा.) | |
| 24-वृहत निर्माण कार्य | 4858 |
| योग-पूँजीलेखा | 4858 |
| कुल योग | 9616 |

(रू0 छियानब्बे लाख सोहल हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयीं मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

5- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

6- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र , भौतिक प्रगति प्रमाण-पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

9- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

10- भारत सरकार के पत्र सख्या-एफ0न0 3-1/2017-एफ0पी0डी, दिनांक 28-04-2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान प्रमुख वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक 13.07.2017 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

12- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- उपर्युक्त के अतिरिक्त इस संबंध में समय समय पर निर्गत शासनोदशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जाय।

14- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-2017/231-2017-दस/348-1-बी/2017/3 दिनांक 20 मार्च, 2017 के क्रम में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1362(1) /चौदह-4-2017-500(18)/2012टीसी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8- नियोजन अनुभाग-3
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।